17

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

कार्य परिषद की बैठक

दिनांक 07-02-2019 की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 07.02.2019 को अपराह्न 3:00 बजे आहूत कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	–	कुलपति / अध्यक्ष
2. डा. विजय खैरा	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. प्रो. पूनम पुरी	–	सदस्य
4. प्रो. अर्चना वर्मा	–	सदस्य
5. डा. ओमकार चौरसिया	–	सदस्य
6. प्रो. एम. एम. सिंह	–	सदस्य
7. डा. आलोक वर्मा	–	सदस्य
8. डा. डी. के. भट्ट	–	सदस्य
9. डा. रितु सिंह	–	सदस्य
10. डा. प्रेमशंकर मिश्रा	–	सदस्य
11. डा. चन्द्रप्रकाश चौरसिया	–	सदस्य
12. डा. तारेश भाटिया	–	सदस्य
13. डा. अंजू दत्त	–	सदस्य
14. डा. संजय निबौरिया	–	विशेष आमंत्री सदस्य
15. श्री धर्मपाल	–	वित्त अधिकारी
16. श्री राम प्रकाश	–	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही

1. **माननीय कुलाधिपति के पत्र संख्या–पी0एस0–300/पी0जी0एस0 दिनांक 04 नवम्बर 2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/7328–47 दिनांक 09.11.2018 के द्वारा प्रो. जे. वी. वैशम्पायन द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में नवीन कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। परिषद् को सूचनार्थ।**

   परिषद् द्वारा प्रो. जे. वी. वैशम्पयान द्वारा दिनांक 09.11.2018 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में कुलपति के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी तथा परिषद् के सदस्यों ने अपना परिचय दिया तथा उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु कामना की।

2. **श्री राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या पी. एस./319/ए. सी. एस. दिनांक 19.11.2018 के द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की कार्य परिषद् में डा. विजय खैरा, डा. डी. वी. सरदेसाई, एवं प्रोफेसर हरीभाऊ गोपीनाथ खांडेकर को कुलाधिपति द्वारा कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। उपर्युक्त कम में विश्वविद्यालय से निर्गत अधिसूचना संख्या बु.वि./ प्रशा./ 2018/ 9771–77 दिनांक 05.12.2018 परिषद् के समक्ष सूचनार्थ।**

   माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित परिषद् के सदस्य डा. विजय खैरा, डा. डी. वी. सरदेसाई, एवं प्रोफेसर हरीभाऊ गोपीनाथ खांडेकर की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या बु.वि./ प्रशा./ 2018/ 9771–77 दिनांक 05.12.2018 से परिषद् अवगत हुई तथा डा. विजय खैरा का परिषद् द्वारा स्वागत किया गया।

कुलपति ने माननीय कुलाधिपति जी द्वारा नियुक्त सभी सदस्यों एवं परिषद् में चक्रानुक्रम में आगन्तुक नये सदस्यों का स्वागत किया तथा उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

इसी कम में निवर्तमान कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे जी को उनके द्वारा लगभग तीन वर्ष तक विश्वविद्यालय को प्रदान किये गये कुशल नेतृत्व के लिये उनका आभार व्यक्त किया गया।

3. उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–टी–5/दो–2–2019 दिनांक 14 जनवरी 2019 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2019/10832–54 दिनांक 16.01.2019 के द्वारा श्री राम प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट, झाँसी ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का कुलसचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिनांक 16.01.2019 को कार्यभार ग्रहण किया। परिषद् को सूचनार्थ।

श्री राम प्रकाश नगर मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के कुलसचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिनांक 16.01.2019 को कार्यभार ग्रहण करने से परिषद् अवगत हुई तथा कुलसचिव का स्वागत किया गया।

4. दिनांक 06.10.2018 को आहूत होने वाली परिषद् की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित होने के फलस्वरूप तैयार कार्य सूची (एजेण्डा) बिन्दु संख्या 01 से 18 तक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

(1) **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 15.06.2018 एवं 04.08.2018 (आपात बैठक) 19.09.2018 (आपात बैठक) की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 15.06.2018 एवं 04.08.2018 (आपात बैठक) 19.09.2018 (आपात बैठक) की कार्यवाहियों की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

(2) **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.07.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.07.2018 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। इस कम में परिषद् के सदस्य डा. विजय खेरा द्वारा यह मत प्रस्तुत किया गया कि जिन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन में तथा अपने अंक चढ़ाने में लापरवाही की गई है उन्हें मूल्यांकन से वंचित करने की कार्यवाही की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन में नियुक्त मूल्यांकन समन्वयक का उत्तरदायित्व होगा कि वह परीक्षक द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त उत्तर पुस्तिका में दिये गये अंक तथा अंकपर्ण पर अंकित अंकों का एक बार मिलान अनिवार्य रूप से कर लें।

(3) **प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16.08.2018 एवं 04.09.2018 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16.08.2018 एवं 04.09.2018 की कार्यवाहियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(4) **सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.06.2018 एवं 12.07.2018 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.06.2018 एवं 12.07.2018 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

(5) **अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018(झॉसी) की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018(झॉसी) की कार्यवाही का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

(6) **प्रो. सी. बी. सिंह, आचार्य, बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या – बु.वि./प्रशा./2018/201–209 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उक्त पत्र कार्यपरिषद के समक्ष के अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।**

प्रो. सी. बी. सिंह, आचार्य, बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या – बु.वि./प्रशा./2018/201–209 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की सूचना से परिषद् अवगत हुई।

(7) **डा0 विनम्र सेन सिंह, सहायक आचार्य,हिन्दी विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या – बु0वि0/प्रशा0/ 2018/4448–54 दिनांक 01.07.2018 के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप दो वर्षो के अवैतनिक असाधारण अवकाश कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। उक्त पत्र कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 विनम्र सेन सिंह, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के पत्र संख्या – बु0 वि0 / प्रशा0/ 2018/4448–54 दिनांक 01.07.2018 के द्वारा उन्हें दो वर्षो (दिनांक 02.07.2018 से दिनांक 30.06.2020 तक) का अवैतनिक असाधारण अवकाश परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त पत्र का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

(8) **डा0 राहुल कुमार, सहायक आचार्य, एस.एफ.एस., फिजियोथेरेपी विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/524–30 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिये गये त्याग–पत्र को स्वीकार किया गया। उक्त पत्र कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 राहुल कुमार, सहायक आचार्य, एस.एफ.एस., फिजियोथेरेपी विभाग को उनका भारतीय रेल्वे में चयन होने के फलस्वरूप दिये गये त्यागपत्र को परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/524–30 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा स्वीकार किये जाने का परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(9) **विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं परिसर में निवासरत अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के पूर्व आवास का अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का आदेश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/536–42 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा निर्गत किया गया। उक्त पत्र कार्य परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत।**

विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं परिसर में निवासरत अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के पूर्व आवास का अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का आदेश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/536–42 दिनांक 19.07.2018 निर्गत पत्र के क्रम में परिषद् द्वारा परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्ति के पूर्व आवास का अदेयता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है यदि कोई शिक्षक / कर्मचारी सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी विश्वविद्यालय परिसर में रहना चाहता है तो उसे सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अनुमति मिलेगी।

उनका भविष्य निधि की धनराशि अवमुक्त कर दी जाये तथा पेंशन का भुगतान आवास रिक्त करने के उपरान्त प्रारम्भ होगा एवं कर्मचारी की ग्रेच्युटी भी उसके बाद ही देय होगी।

(10) **श्री जितेन्द्र कुमार, को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/941–46 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा के आधार पर नैत्यिक सहायक के पद पर नियुक्त किया गया। उक्त पत्र कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

श्री जितेन्द्र कुमार, को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/941–46 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा के आधार पर नैत्यिक सहायक के पद पर नियुक्त किया गया। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(11) **श्रवण कुमार द्विवेदी महेश कुमार पाण्डेय महाविद्यालय, हुसेपुरा, सुरई, जालौन (618) में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/सम्ब0/2018/3057–66 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने हेतु कार्य परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

श्रवण कुमार द्विवेदी महेश कुमार पाण्डेय महाविद्यालय, हुसेपुरा, सुरई, जालौन (618) में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/सम्ब0/2018/3057–66 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा सत्र 2018–19 से प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने की सूचना से परिषद् अवगत हुई तथा परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि यह प्रकरण माननीय कुलाधिपति महोदय के यहाँ धारा 68 के अंतर्गत लम्बित है।

(12) **अनापत्ति/सम्बद्धता निस्तारण हेतु (2019–20 के लिये) विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/सम्ब0/ 2018/1328 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में समय सारणी का प्रसारण किया गया। उक्त पत्र कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से अनापत्ति/सम्बद्धता निस्तारण हेतु (2019–20 के लिये) निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/ सम्ब0/ 2018/1328 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा बनाई गई समय सारिणी का अनुमोदन किया गया।

(13) **श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह को विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बु. वि./ विधिक/ 2018/ 585–98 दिनांक 06/09/2018 के विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह को विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जाने हेतु निर्गत विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या बु.वि./ विधिक/ 2018/ 585–98 दिनांक 06/09/2018 का अनुमोदन किया गया। डा. विजय खैरा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लियेएक उपयुक्त पद्धति बनायी जाये, जिसे कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया।

(14) **सत्र 2017–18 में सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन में विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकता, शिक्षकों की कमी एवं समय अवधि में परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/परीक्षा/2018/1450 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा मूल्यांकन पारिश्रमिक बढ़ाया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुई।

(15) **सत्र 2017–18 में वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन में विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकता, शिक्षकों की कमी एवं समय अवधि में परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/परीक्षा/2018/1152 दिनांक 17.05.2018 एवं पत्र संख्याबु.वि./ परीक्षा/ 2018/ 1159 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा मूल्यांकन पारिश्रमिक बढ़ाया गया। उक्त पत्र कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुई।

(16) **सत्र 2017–18 में शिक्षा संकाय (बी. एड., एम. एड. एवं बी.एल.एड.) की परीक्षाओं के मूल्यांकन में विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकता, शिक्षकों की कमी एवं समय अवधि में परीक्षाफल घोषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/परीक्षा/2018/1513A दिनांक 11.09.2018 के द्वारा मूल्यांकन पारिश्रमिक बढ़ाया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुई।

(17) **श्री सतीश साहनी, तकनीकी सहायक/फोटोग्राफी की सेवा अवधि दिनांक 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक विस्तारण हेतु कार्यालय द्वारा दिये गये प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से श्री सतीश साहनी, तकनीकी सहायक/फोटोग्राफी की सेवा अवधि दिनांक 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक विस्तारित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(18) **डा0 पुनीत बिसारिया, सह आचार्य, हिन्दी विभाग की पूर्व संस्था में की गई सेवाओं को जोड़े जाने पर वेतन संरक्षण लाभ दिये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिये गये प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा डा0 पुनीत बिसारिया, सह आचार्य, हिन्दी विभाग की पूर्व संस्था में की गई सेवाओं को जोड़े जाने पर वेतन संरक्षण लाभ दिये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि डा. बिसारिया का त्यागपत्र नेहरू महाविद्यालय, ललितपुर में स्वीकार होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(19) **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।**

परिषद् के समक्ष कोई बिन्दु प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. **परिषद् की पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 01.11.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।**

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 01.11.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

6. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.10.2018, 15.12.2018 एवं 30.01.2019 की कार्यवाहियों के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.10.2018, 15.12.2018 एवं 30.01.2019 की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया गया।

कार्यालय आदेश संख्या–बु0वि0/सम्ब0/2018/1440 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा अभिनव प्रज्ञा महिला महाविद्यालय, कुम्हरिया, चण्डोत्त रोड़, राठ हमीरपुर एवं शहीद भगत सिंह साइंस महाविद्यालय, उरई जालौन द्वारा सम्बद्धता वापस किये जाने के अनुरोध के आधार पर पंजीकृत एवं भूतपूर्व छात्र–छात्राओं को अन्यन्त्र महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ।

परिषद् विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या बु.वि./सम्ब./2018/1440 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा अभिनव प्रज्ञा महिला महाविद्यालय, कुम्हरिया, चण्डोत रोड़, राठ हमीरपुर एवं शहीद भगत सिंह साइंस महाविद्यालय, उरई जालौन द्वारा सम्बद्धता वापस किये जाने के अनुरोध के आधार पर पंजीकृत एवं भूतपूर्व छात्र–छात्राओं को अन्यन्त्र महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना से अवगत हुई। परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही सम्बद्धता समिति के माध्यम से नियमानुसार प्रारम्भ की जाये।

8. कार्यालय आदेश संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2018/2821–26 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा श्रीमती रेखा रिछारिया, नैत्यिक सहायक को दिनांक 10.10.2018 से 31.12.2018 तक बाल्य देखभाल अवकाश परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया। पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् द्वारा श्रीमती रेखा रिछारिया, नैत्यिक सहायक को दिनांक 10.10.2018 से 31.12.2018 तक बाल्य देखभाल अवकाश हेतु निर्गत आदेश संख्या बु0वि0/प्रशा0/2018/2821–26 दिनांक 11.10.2018 का अनुमोदन किया गया।

9. तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर हुई विभागीय पदोन्नतियों के सम्बन्ध में निर्गत पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परिषद् तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर हुई विभागीय पदोन्नतियों के सम्बन्ध में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/987–93 दिनांक 09.08.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/994–1000 दिनांक 09.08.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/1001–1007 दिनांक 09.08.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/1008–1014 दिनांक 09.08.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8229–40 दिनांक 16.02.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8200–8207 दिनांक 16.02.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8217–28 दिनांक 16.02.2018 एवं पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/8208–16 दिनांक 16.02.2018 से सूचित हुई।

10. शासनादेश संख्या वे0आ0–2–2665(1)/10–54(एम)2008 टी.सी. दिनांक 26 सितम्बर 2013 के अनुपालन में लिपिकीय संवर्ग के गठन हेतु कर्मचारियों के पदनाम एवं ग्रेड वेतन परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तित किया गया। निर्गत पत्र परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ।

शासनादेश संख्या वे. आ.–2–2665(1)/10–54 (एम) 2008 टी.सी. दिनांक 26 सितम्बर 2013 के अनुपालन में लिपिकीय संवर्ग के गठन हेतु कर्मचारियों के पदनाम एवं ग्रेड वेतन परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तित किया गया। उपर्युक्त सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/7260–68 दिनांक 03.11.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/7238–59 दिनांक 03.11.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./ 2018/7203–37 दिनांक 03.11.2018, पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/7269–78 दिनांक 03.11.2018 पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2018/7279–95 दिनांक 03.11.2018 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

11. डा. विनीत कुमार – सहायक आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग को एक वर्ष के अवकाश विस्तारीकरण हेतु निर्गत पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/10706–12 दिनांक 17.01.2019 परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

डा. विनीत कुमार – सहायक आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग वर्तमान में डा. बी. आर. अम्बेडकर केन्द्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के पद से अवैतनिक अवकाश चल रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में उनको दिनांक 06.02.2017 से 05.02.2019 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस क्रम में डा. विनीत कुमार द्वारा पुनः दो वर्ष का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2019 को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। जिस पर कुलपति द्वारा उन्हें एक वर्ष दिनांक 06.02.2019 से 05.02.2020 तक अवकाश स्वीकृत किया गया है। उक्त क्रम में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/10706–12 दिनांक 17.01.2019 का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

12. प्रो० रोचना श्रीवास्तव,आचार्य,पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10. 2018 के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रो. रोचना श्रीवास्तव, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2018 के माध्यम से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति प्रदान करने के अनुरोध को परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि डा. श्रीवास्तव को ग्रेच्युटी के साथ 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति दी जाये तथा पेंशन के सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

13. विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत उपाचार्यों को सह आचार्य पदनाम दिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत उपाचार्यों को सह आचार्य पदनाम दिये जाने के प्रकरण पर गठित समिति की आख्या को परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सहआचार्य का नाम परिवर्तित कर दिया जायें परन्तु इसमें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

अनुपूरक कार्यसूची की कार्यवाही

1. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 04.02.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 04.02.2019 की कार्यवाही का अनमोदन किया गया।

2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय में 'परामर्श विकास प्रकोष्ठ' (Consultancy Development Cell) के गठन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में 'परामर्श विकास प्रकोष्ठ' (Consultancy Development Cell) के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

4. **श्री राकेश व्यास, निलम्बित वरिष्ठ सहायक, के प्रकरण पर कार्य परिषद् के पूर्व निर्णयानुसार गठित अनुशासन समिति की आख्या पर विचार। आख्या का सीलबन्द लिफाफा एवं पत्रावली पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।**

श्री राकेश व्यास, निलम्बित वरिष्ठ सहायक, के प्रकरण पर कार्य परिषद् के पूर्व निर्णयानुसार गठित अनुशासन समिति की आख्या का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष खोला गया। अनुशासन समिति की संस्तुति को परिषद् के समक्ष पढ़ा गया समिति द्वारा इसे स्वीकार करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया।

5. **श्री उमेश करौलिया, निलम्बित नैत्यिक सहायक के प्रकरण पर कार्य परिषद् के पूर्व निर्णयानुसार गठित अनुशासन समिति की आख्या पर विचार। आख्या का सीलबन्द लिफाफा एवं पत्रावली पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।**

श्री उमेश करौलिया, निलम्बित नैत्यिक सहायक के प्रकरण पर कार्य परिषद् के पूर्व निर्णयानुसार गठित अनुशासन समिति की आख्या का बन्द लिफाफा रखा गया। परन्तु वर्तमान में उनके विरूद्ध एक अन्य जांच समिति गठित हुई है, अतः उक्त जांच पूर्ण होने पर दोनों की आख्या परिषद् के समक्ष आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **श्री गजेन्द्र यादव, निलम्बित वरिष्ठ सहायक के प्रकरण पर विचार। पत्रावली पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।**

श्री गजेन्द्र यादव, निलम्बित वरिष्ठ सहायक की पत्रावली पर प्रस्तुत जांच आख्या को परिषद् के समक्ष पढ़ा गया तथा परिषद् द्वारा उसे स्वीकार करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया।

14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक आख्या सत्र 2017– 2018 परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसका परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

- अन्त में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

07/2/19 — 7/02/2019

(राम प्रकाश)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति / अध्यक्ष

दिनांक 07.02.2019